तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **लक्ष्मीनारायण शर्मा बनाम मैसर्स संगम ई–कॉम लि. व अन्य** **अवमानना प्रार्थना पत्र संख्या** जीसीएमएस **नम्बर 2022/624**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
07.02.24	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी एवं वकील अप्रार्थीगण को प्रार्थना पत्र अवमानना प्रार्थना पत्र पर सुना गया। वकील प्रार्थी ने कथन किया कि माननीय न्यायालय ने अधीनस्थ न्यायालय प्राधिकृत अधिकारी जोन–12, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर के अपीलाधीन आदेश दिनांक 24.04.2015 की क्रियान्विति आगामी तारीख पेशी दिनांक 01.11.2017 तक स्थगित करते हुए वादग्रस्त आराजी के राजस्व रिकॉर्ड व मौके की स्थिति यथावत रखी जाने के आदेश दिये गये उक्त आदेश की विपक्षीगण को पूर्ण जानकारी है। उक्त आदेश की जानकारी अप्रार्थीगण क्रमांक 01 व 2 को पूर्ण रूप से है तथा पूर्व से ही उक्त उनवानी प्रार्थना पत्र अवमानना लंबित है तथा बावजूद आदेश अप्रार्थीगण उसकी पालना नहीं कर माननीय न्यायालय के आदेश की खुली अवहेलना कर रहे हैं। माननीय न्यायालय का आदेश अस्थाई निषेधाज्ञा होने के बाद भी मिट्टी खुदवाकर ले जा रहे हैं व ग्रेवल रोड़ बना रहे हैं। अप्रार्थीगण का उक्त कृत्य माननीय न्यायालय के आदेश की खुल्लम खुल्ला अवहेलना कर रहे हैं जिनका कृत्य न्यायालय की अवमानना की श्रेणी में आता है। माननीय न्यायालय के आदेश की पालना कराये जाने हेतु पुलिस इमदाद दी जावे। अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट ने अपने जवाब प्रार्थना पत्र अवमानना में कथन किया है कि माननीय न्यायालय के समक्ष अपील दिनांक 21.07.2017 को प्रस्तुत की गई है जबकि प्रार्थी 2015 में की गई कार्यवाही को इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर रहा है जबकि अपीलाधीन भूमि से अपीलांट का किसी प्रकार से संबंध व सरोकार नहीं है स्वयं अपीलांट द्वारा माननीय सिविल न्यायालय में नारायण सिंह द्वारा प्रस्तुत तथाकथित इकरारनामें के आधार पर प्रस्तुत सिविल वाद में अंकित किया है कि अपीलांट द्वारा फर्जकारी कर निष्पादित कराया है। तथाकथित इकरारनामें के आधार पर अपील पेश कर अधिकार नहीं है एवं मूल अपील ही निर्णित की जा चुकी है ऐसी स्थिति में उक्त प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है तत्पश्चात वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गयी। पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड व तथ्यों का अवलोकन किया गया तथा अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। प्रार्थी का दौराने बहस यह कथन है कि अपीलार्थी द्वारा जो स्थगन आदेश दिनांक 10.10.2017 की अवेहलना रेस्पोडेन्ट द्वारा किया जाना अंकित किया परन्तु स्वंय प्रार्थी द्वारा पत्रावली पर ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है कि जिससे यह प्रमाणित हो कि इस न्यायालय के स्थगन आदेश की जानकारी अप्रार्थीगण को हो चुकी हो। पत्रावली पर प्रार्थी द्वारा रजिस्टर्ड नोटिस अप्राप्त होकर शामिल मिसल है। जिस पर प्रार्थी द्वारा जरिये अखबार दिनांक 13.01.2023 जरिये अखबार साया नोटिस तामिल कराये है। जिस पर अप्रार्थी दिनांक 16.10.2023 को इस न्यायालय में उपस्थित हुये हैं। उसके उपरान्त अप्रार्थी स्वंय द्वारा मय शपथ पत्र जवाब न्यायालय के आदेश की अवेहलना नहीं करने का कथन किया है, जो प्रार्थी द्वारा स्वयं अखण्डनीय है। ऐसी स्थिति में जब मूल अपील ही निर्णित हो चुकी है तो फलस्वरूप प्रार्थना पत्र अवमानना चलाये जाने योग्य नहीं है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अवमानना खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। तहत रिकार्ड वापस लौटाया जावें एवं बाद तकमील पत्रावली जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। आदेश सुनाया गया। (डॉ0 आरूषी मलिक) संभागीय आयुक्त जयपुर संभागीय आयुक्त जयपुर	